रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 219] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 30, 1985/वैशाख 10, 1907
No. 219] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 30, 1985/VAISAKHA 10, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(नौवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 1985

(वाणिज्यिक नौवहन)

का.आ. 372(अ) :—राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड 1963 के नियम 3 और 4 के साथ पठित वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम 1958 (1958 का 44) की धारा 218 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा इस मंत्रालय की दिनांक 14-11-84 की अधिसूचना समसंख्यक

के क्रम में केन्द्रीय सरकार श्री मोहम्मद असरार अहमद के स्थान पर लोक सभा के सदस्य श्री शांताराम एल. नाइक को राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है,

[फाइल सं.-एसडब्ल्यू/एमडब्ल्यूएस(33)/83एम.टी.]

एस. सिंहल, अवर सचिव

MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT

(Shipping Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 1985

(MERCHANT SHIPPING)

S.O. 372(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 218 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), read with rules 3 and 4 of the National Welfare Board for Seafarers Rules 1963 and in continuation of this Ministry's Notification of even No. dated 14-11-84, the Central Government hereby include Shri Shantaram L. Naik, member of Lok Sabha as Member of the National Welfare Board for Seafarers in place of Shri Mohd. Asrar Ahmed.

[F. No. SW|MWS(33)|83-MT]

S. SINGHAL, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1985